

2019-40
25/3/26

क्र. 22/21
2024/21

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	132	89	0.0126	अम्बालाल पुत्र खेताजी, हि-1/2 जाति - शुर्प काफू सा.सातीगाव छत्तार	अम्बालाल पुत्र खेताजी, हि-1/2 जाति - रेवारी, सा.सातीगाव छातेयार → उपर्युक्तानुसार वर्तमान जमाबंदी, गाम-मांचगाव में शुद्धि की जाने अप्रिशंषा की जाती है।	यथा प्रस्तावित शुद्धि की जानी उचित है।
<p>मुताबिक मिसल/जमाबंदी संयत 2024 के जाति के उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>	<p>प०हल्का आबुपवंत मू०अ०नि० आबुपवंत की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को सादर प्रेषित है।</p>	<p>प०हल्का आबुपवंत मू०अ०नि० आबुपवंत राजस्व अधिकारी देलदर की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।</p>
दिनांक 06/3/26	प०हल्का आबुपवंत	दिनांक 06/3/26	ह० मू०अ०नि० पूत आबुपवंत	ह० मू०अ०नि० पूत आबुपवंत	ह० मू०अ०नि० पूत आबुपवंत	उपखण्ड अधिकारी आबुपवंत (सिरोही)

